

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
बमुकद में ईबादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्याप्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया



अधीकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)  
संख्या :- 212/2023  
पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

मूपेन्द्र सिंह पुत्र नायब सिंह जाति जटसिख नि.12 एमजेडी पिलानियावाली ढाणी तह.संगरिया

रूपेन्द्र सिंह पुत्र नायब सिंह फौत

1/1 हरप्रीत कौर पत्नी स्व. श्री रूपेन्द्र सिंह जाति जटसिख नि.12 एमजेडी पिलानियावाली ढाणी तह.संगरिया

कुलदीप कौर पत्नी नायब सिंह जाति जटसिख नि.12 एमजेडी पिलानियावाली ढाणी तह.संगरिया

बनाम

- अनिल कुमार दतक पुत्र पीरदान जाति जाट निवासी दौलतपुरा तह.टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- रामीदेवी पत्नी राजेन्द्र जाति जाट नि.अमरपुरा जालू तह.संगरिया।
- विजय लक्ष्मी नाबालिग पुत्री राजेन्द्र जरिये संरक्षण माता रामीदेवी पत्नी श्री राजेन्द्र जाति जाट नि.अमरपुरा जालू तहसील संगरिया।
- सुभाष चन्द्र पुत्र कृष्ण लला जाति जाट नि.अमरपुरा जालू तहसील संगरिया।
- स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक
- तहसीलदार राजस्व संगरिया।
- जमनादेवी पत्नी कृष्ण लाल जाति जाट नि.चक 12 एमजेडी तहसील. संगरिया।

डिक्री

दिनांक :- 9-3-2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रुबरू हमारे वहाजरी श्री भीम पारिक वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रति. 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भूअ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चक 14 एमजेडी

- कुलदीप कौर पत्नी नायब सिंह 0.363 हि. मूपेन्द्र सिंह पुत्र नायब सिंह 0.362 हि. रूपेन्द्र सिंह (फौत) पुत्र नायब सिंह के वारिसान 0.362 हि. कब्जा काश्त की भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
129/177	8	3/0.164, 4/0.164, 7,8,9/0.253 है.प्र.

- अनिल कुमार दतक पुत्र पीरदान 4.553 हि. जाति जाट सा.दौलतपुरा हाल आबाद चक 12 एमजेडी की कब्जा काश्त की भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
129/177	8	13 ता 18/1.518, 25/0.253, कुल 1.771
130/177	7	2 ता 4/0.492, 5/1/0.152, 5/2/0.114 गै.मु.रास्ता, 6/1/0.228, 6/2/0.025 गै.मु.रास्ता, 7 ता 9/0.759, 11/0.190, 12,13,14/0.154 है.प्र. 15/1/0.139 है. 15/2/0.015 गै.मु.रास्ता, 20,21/0.153 है.प्र.

- रामीदेवी पत्नी राजेन्द्र, विजय लक्ष्मी पुत्री राजेन्द्र 1.089 हि.बहिब सुभाषचन्द्र पुत्र कृष्ण लाल 1.089 कृष्ण लाल (फौत) पुत्र जीवनराम के वारिसान 0.834 हि. जाति जाट सा.अमरपुरा के कब्जा काश्त

प.न.	मु.न.	किला नं.
129/177	8	5/0.164, 6/0.253,
130/177	7	12,13,14/0.099 है.प्र. 15/1/0.089, 15/2/0.010, गै.मु.रास्ता, 11/0.063, 17,18,19/0.253 है.प्र. 16/1/0.228, 16/2/0.025 गै.मु.रास्ता, 20,21/0.100 है.प्र. 22,23/0.253, 1/0.164, 10/0.253,

उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया


अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में रथगन आदेश आदि नहीं है तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भूअ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भूअ./2024/565 दिनांक 02.02.2026 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यदि एक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कस दिया जावे।



तहसीलदार संगरिया ने विभाजन प्रस्ताव में मृतक पक्षकारो के वारिसानों का कब्जा काश्त होना बताया है इसलिए मृतक के वारिसानों की नियमानुसार जांच कर जांच उपरान्त उनके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

निज..... मुब्लिक..... बाबत..... खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 9-3-2026 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

  
(जय कौशिक)  
सहायक कर्णिक एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया